संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/2910 भोपाल, दिनांक 9/10/19

प्रति,

डॉ. हेमलता मण्डलोई
स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलार
जिला–भोपाल, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल।

विषय:–डॉ. हेमलता मण्डलोई, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश– के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

संदर्भ:–1. दिनांक 01.07.2019 को सीमॉक संस्था की अकियाशीलता के संबंध में दिये गये निर्देश।
2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एम.एच./2019/4178 दिनांक 31.08.2019।

––0––

यह कि आप डॉ. हेमलता मण्डलोई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलार जिला भोपाल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों का दबाव कम करने और गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया गया था जिसके तहत भोपाल शहर में स्थित घनी आबादी वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित प्रावधान अनुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराते हुये सीमॉक संस्था के रूप में कियाशील किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

आपको वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ मानते हुये आपसे अपेक्षा की गयी थी कि आप महिलाओं को अपनी विशेषज्ञता का लाभ देते हुये अनुकरणीय पहल कर मातृ स्वास्थ्य के संकेतकों में सुधार लाने में अपना योगदान देते हुये क्षेत्र की वंचित आम जनता को लाभान्वित करेंगी।

यह कि आपके द्वारा अपेक्षित कार्य ना किये जाने के संबंध में बार बार मौखिक हिदायत देते हुये कार्य में सुधार लाने के प्रयास किये गये तथापि सुधार ना लाने के कारण अकियाशील सीमॉक संस्थाओं की बैठक दिनांक 01.07.2019 में राज्य स्तर पर आपको बुलाया गया था, जहां स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि यदि आपकी विशेषज्ञता का लाभ राज्य स्तर पर प्रसूताओं को नहीं मिल पाता है तो यह मानते हुये कि आप घनी आबादी की अधिक प्रसूताओं को लाभान्वित करने में अक्षम है और आपकी सेवायें विभाग द्वारा प्रदेश के अति वंचित जिले में ली जायेंगी (छायाप्रति संलग्न)। जुलाई पश्चात अब तक आपके द्वारा मात्र 04 एल.एस.सी.एस. ही किये गये, जो कि कोलार जैसी घनी आबादी क्षेत्र में अत्यंत ही असंतोषजनक होते हुये आपके गैर जिम्मेदाराना, उदासीन व्यवहार को दर्शाती है। इसके पश्चात दिनांक 27.08.2019 को वी.सी. की समीक्षा मे भी आपके कार्य में किसी प्रकार का सुधार परिलक्षित नहीं हुआ जिसके उपरांत मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया (छायाप्रति संलग्न)। आपके उदासीन व्यवहार से ना सिर्फ विभाग की छवि धूमिल हुयी साथ ही कोलार को सीमॉक बनाने का मूल उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। आपके सक्रिय प्रयास ना होने के कारण भोपाल जिले के अन्य बडे चिकित्सालयों पर दबाव बढा है एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की प्रक्रिया बाधित हुयी है।

निरंतर.....2

इस प्रकार आपके द्वारा राज्य स्तरीय दिशा–निर्देशों के प्रति उदासीनता दिखाने से प्रथम दृष्टया वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जाना प्रतीत होता है, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

**प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. कलेक्टर ,जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, किसान भवन, बैंक आफ इंडिया के पास भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. हेमलता मण्डलोई, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट समय सीमा में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 2508 भोपाल, दिनांक 9/10/19

प्रति,

डॉ. ललिता परमार,
स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधीनगर
जिला–भोपाल, मध्यप्रदेश।

**द्वारा:–** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल।

**विषय:–**डॉ. ललिता परमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीनगर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश– के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

**संदर्भ:–**1. दिनांक 01.07.2019 को सीमॉक संस्था की अक्रियाशीलता के संबंध में दिये गये निर्देश।

––0––

यह कि आप डॉ. ललिता परमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधीनगर जिला भोपाल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों का दबाव कम करने और गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया गया था जिसके तहत भोपाल शहर में स्थित घनी आबादी वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीनगर में निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ सहित प्रावधान अनुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराते हुये डिलेवरी प्वाइंट के रूप में क्रियाशील किये जाने निर्देशित किया गया।

आपको वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ मानते हुये आपसे अपेक्षा की गयी थी कि आप महिलाओं को अपनी विशेषज्ञता का लाभ देते हुये अनुकरणीय पहल कर मातृ स्वास्थ्य के संकेतकों में सुधार लाने में अपना योगदान देते हुये क्षेत्र की वंचित आम जनता को लाभान्वित करेंगी।

यह कि आपके द्वारा अपेक्षित कार्य ना किये जाने के संबंध में बार बार मौखिक हिदायत देते हुये कार्य में सुधार लाने के प्रयास किये गये तथापि सुधार ना लाने के कारण अक्रियाशील सीमॉक/डिलेवरी प्वाइंट संस्थाओं की बैठक दिनांक 01.07.2019 में राज्य स्तर पर आपको बुलाया गया था, जहां स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि यदि आपकी विशेषज्ञता का लाभ राज्य स्तर पर प्रसूताओं को नहीं मिल पाता है तो यह मानते हुये कि आप घनी आबादी की अधिक प्रसूताओं को लाभान्वित करने में अक्षम है और आपकी सेवायें विभाग द्वारा प्रदेश के अति वंचित जिले में ली जायेंगी जहां अपेक्षाकृत कम कार्य होता है (छायाप्रति संलग्न)। जुलाई पश्चात अब तक आपके द्वारा मात्र 01 एल.एस.सी.एस. ही किया गया, जो कि गांधीनगर जैसी घनी आबादी क्षेत्र में अत्यंत ही असंतोषजनक होते हुये आपके गैर जिम्मेदाराना, उदासीन व्यवहार को दर्शाती है। दिनांक 27.08.2019 को वी.सी. की समीक्षा मे भी आपके कार्य में किसी प्रकार का सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। आपके उदासीन व्यवहार से ना सिर्फ विभाग की छवि धूमिल हुयी साथ ही गांधीनगर को सक्रिय डिलेवरी प्वाईंट बनाने का मूल उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। आपके सक्रिय प्रयास ना होने के कारण भोपाल जिले के अन्य बडे चिकित्सालयो पर दबाव बढा है एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की प्रक्रिया बाधित हुयी है।

निरंतर.....2

इस प्रकार आपके द्वारा राज्य स्तरीय दिशा–निर्देशों के प्रति उदासीनता दिखाने से प्रथम दृष्टया वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जाना प्रतीत होता है, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

**प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. कलेक्टर ,जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, किसान भवन, बैंक आफ इंडिया के पास भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. ललिता परमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीनगर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट समय सीमा में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/2906 भोपाल, दिनांक 9/10/19

प्रति,

डॉ. नेहा परनामी,
निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधीनगर
जिला–भोपाल, मध्यप्रदेश।

**द्वारा:–** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल।

**विषय:–**डॉ. नेहा परनामी, निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीनगर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश– के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

**संदर्भ:–**1. दिनांक 01.07.2019 को सीमॉक संस्था की अक्रियाशीलता के संबंध में दिये गये निर्देश।

––0––

यह कि आप डॉ. नेहा परनामी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधीनगर जिला भोपाल में निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों का दबाव कम करने और गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया गया था जिसके तहत भोपाल शहर में स्थित घनी आबादी वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीनगर में स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित प्रावधान अनुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराते हुये डिलेवरी प्वाइंट के रूप में क्रियाशील किये जाने निर्देशित किया गया।

आपको वरिष्ठ निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ मानते हुये आपसे अपेक्षा की गयी थी कि आप महिलाओं को अपनी विशेषज्ञता का लाभ देते हुये अनुकरणीय पहल कर मातृ स्वास्थ्य के संकेतकों में सुधार लाने में अपना योगदान देते हुये क्षेत्र की वंचित आम जनता को लाभान्वित करेंगी।

यह कि आपके द्वारा अपेक्षित कार्य ना किये जाने के संबंध में बार बार मौखिक हिदायत देते हुये कार्य में सुधार लाने के प्रयास किये गये तथापि सुधार ना लाने के कारण अक्रियाशील सीमॉक/डिलेवरी प्वाइंट संस्थाओं की बैठक दिनांक 01.07.2019 में राज्य स्तर पर आपको बुलाया गया था, जहां स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि यदि आपकी विशेषज्ञता का लाभ राज्य स्तर पर प्रसूताओं को नहीं मिल पाता है तो यह मानते हुये कि आप घनी आबादी की अधिक प्रसूताओं को लाभान्वित करने में अक्षम है और आपकी सेवायें विभाग द्वारा प्रदेश के अति वंचित जिले में ली जायेंगी जहां अपेक्षाकृत कम कार्य होता है (छायाप्रति संलग्न)। जुलाई पश्चात अब तक आपके द्वारा मात्र 01 एल.एस.सी.एस. ही किया गया, जो कि गांधीनगर जैसी घनी आबादी क्षेत्र में अत्यंत ही असंतोषजनक होते हुये आपके गैर जिम्मेदाराना, उदासीन व्यवहार को दर्शाती है। दिनांक 27.08.2019 को वी.सी. की समीक्षा मे भी आपके कार्य में किसी प्रकार का सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। आपके उदासीन व्यवहार से ना सिर्फ विभाग की छवि धूमिल हुयी साथ ही गांधीनगर को सक्रिय डिलेवरी प्वाईंट बनाने का मूल उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। आपके सक्रिय प्रयास ना होने के कारण भोपाल जिले के अन्य बडे चिकित्सालयों पर दबाव बढा है एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की प्रक्रिया बाधित हुयी है।

निरंतर.....2

इस प्रकार आपके द्वारा राज्य स्तरीय दिशा–निर्देशों के प्रति उदासीनता दिखाने से प्रथम दृष्टया वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जाना प्रतीत होता है, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

**प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. कलेक्टर ,जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, किसान भवन, बैंक आफ इंडिया के पास भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. नेहा परनामी, निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीनगर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट समय सीमा में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 2904 भोपाल, दिनांक 9/10/19

**प्रति,**

डॉ. लेखा तिवारी,
स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, जिला अशोकनगर,
मध्यप्रदेश।

**द्वारा:–** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अशोकनगर।

**विषय:–**डॉ. लेखा तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश– के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

**संदर्भ:–**1. दिनांक 01.07.2019 को सीमॉक संस्था की अकियाशीलता के संबंध में दिये गये निर्देश।

––0––

यह कि आप डॉ. लेखा तिवारी, जिला चिकित्सालय जिला अशोकनगर में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों का दबाव कम करने और गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया गया था जिसके तहत आपको जिला चिकित्सालय अशोकनगर में प्रसूति सेवाएं देने हेतु पदस्थ किया गया था।

आपको वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ मानते हुये आपसे अपेक्षा की गयी थी कि आप महिलाओं को अपनी विशेषज्ञता का लाभ देते हुये अनुकरणीय पहल कर मातृ स्वास्थ्य के संकेतकों में सुधार लाने में अपना योगदान देते हुये क्षेत्र की वंचित आम जनता को लाभान्वित करेंगी।

यह कि आपके द्वारा अपेक्षित कार्य ना किये जाने के संबंध में बार बार मौखिक हिदायत देते हुये कार्य में सुधार लाने के प्रयास किये गये तथापि सुधार ना लाने के कारण अकियाशील सीमॉक संस्थाओं की बैठक दिनांक 01.07.2019 में राज्य स्तर पर आपको बुलाया गया था, जहां स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि यदि आपकी विशेषज्ञता का लाभ राज्य स्तर पर प्रसूताओं को नहीं मिल पाता है तो यह मानते हुये कि आप प्रसूताओं को लाभान्वित करने में अक्षम है और आपकी सेवायें विभाग द्वारा प्रदेश के अति वंचित जिले में ली जायेंगी (छायाप्रति संलग्न)। आपके उदासीन व्यवहार से ना सिर्फ विभाग की छवि धूमिल हुयी साथ ही जिला चिकित्सालय अशोकनगर की कियाशीलता पर भी विपरीत प्रभाव पड रहा है! आपके द्वारा राज्य स्तरीय दिशा–निर्देशों के प्रति उदासीनता बरतने से प्रथम दृष्टया वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जाना प्रतीत होता है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

निरंतर.....2

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

**प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, किसान भवन, बैंक आफ इंडिया के पास भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अशोकनगर की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. लेखा तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट समय सीमा में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/2902 भोपाल, दिनांक 9/10/19

**प्रति,**

डॉ. आभा शुक्ला,
स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलार,
जिला–भोपाल, मध्यप्रदेश।

**द्वारा:–** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल।

**विषय:–**डॉ. आभा शुक्ला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश– के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

**संदर्भ:–**1. दिनांक 01.07.2019 को सीमॉक संस्था की अक्रियाशीलता के संबंध में दिये गये निर्देश।
2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एम.एच./2019/4174 दिनांक 31.08.2019।

––0––

यह कि आप डॉ. आभा शुक्ला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलार जिला भोपाल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों का दबाव कम करने और गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया गया था जिसके तहत भोपाल शहर में स्थित घनी आबादी वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित प्रावधान अनुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराते हुये सीमॉक संस्था के रूप में क्रियाशील किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

आपको वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ मानते हुये आपसे अपेक्षा की गयी थी कि आप महिलाओं को अपनी विशेषज्ञता का लाभ देते हुये अनुकरणीय पहल कर मातृ स्वास्थ्य के संकेतकों में सुधार लाने में अपना योगदान देते हुये क्षेत्र की वंचित आम जनता को लाभान्वित करेंगी।

यह कि आपके द्वारा अपेक्षित कार्य ना किये जाने के संबंध में बार बार मौखिक हिदायत देते हुये कार्य में सुधार लाने के प्रयास किये गये तथापि सुधार ना लाने के कारण अक्रियाशील सीमॉक संस्थाओं की बैठक दिनांक 01.07.2019 में राज्य स्तर पर आपको बुलाया गया था, जहां स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि यदि आपकी विशेषज्ञता का लाभ राज्य स्तर पर प्रसूताओं को नहीं मिल पाता है तो यह मानते हुये कि आप घनी आबादी की अधिक प्रसूताओं को लाभान्वित करने में अक्षम है और आपकी सेवायें विभाग द्वारा प्रदेश के अति वंचित जिले में ली जायेंगी (छायाप्रति संलग्न)। जुलाई पश्चात अब तक आपके द्वारा मात्र 05 एल.एस.सी.एस. ही किये गये, जो कि कोलार जैसी घनी आबादी क्षेत्र में अत्यंत ही असंतोषजनक होते हुये आपके गैर जिम्मेदाराना, उदासीन व्यवहार को दर्शाती है। इसके पश्चात दिनांक 27.08.2019 को वी.सी. की समीक्षा मे भी आपके कार्य में किसी प्रकार का सुधार परिलक्षित नहीं हुआ जिसके उपरांत मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया (छायाप्रति संलग्न)। आपके उदासीन व्यवहार से ना सिर्फ विभाग की छवि धूमिल हुयी साथ ही कोलार को सीमॉक बनाने का मूल उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। आपके सक्रिय प्रयास ना होने के कारण भोपाल जिले के अन्य बडे चिकित्सालयों पर दबाव बढा है एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की प्रक्रिया बाधित हुयी है।

निरंतर.....2

इस प्रकार आपके द्वारा राज्य स्तरीय दिशा–निर्देशों के प्रति उदासीनता दिखाने से प्रथम दृष्टया वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जाना प्रतीत होता है, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

**प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. कलेक्टर ,जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, किसान भवन, बैंक आफ इंडिया के पास भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. आभा शुक्ला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट समय सीमा में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/2900 भोपाल, दिनांक 9/10/19

प्रति,

डॉ. अमिता दुबे
स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलार
जिला–भोपाल, मध्यप्रदेश।

**द्वारा:–** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल।

**विषय:–**डॉ. अमिता दुबे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश– के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

**संदर्भ:–**1. दिनांक 01.07.2019 को सीमॉक संस्था की अक्रियाशीलता के संबंध में दिये गये निर्देश।
2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एम.एच./2019/4176 दिनांक 31.08.2019।

––0––

यह कि आप डॉ. अमिता दुबे, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलार जिला भोपाल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों का दबाव कम करने और गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया गया था जिसके तहत भोपाल शहर में स्थित घनी आबादी वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित प्रावधान अनुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराते हुये सीमॉक संस्था के रूप में क्रियाशील किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

आपको वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ मानते हुये आपसे अपेक्षा की गयी थी कि आप महिलाओं को अपनी विशेषज्ञता का लाभ देते हुये अनुकरणीय पहल कर मातृ स्वास्थ्य के संकेतकों में सुधार लाने में अपना योगदान देते हुये क्षेत्र की वंचित आम जनता को लाभान्वित करेंगी।

यह कि आपके द्वारा अपेक्षित कार्य ना किये जाने के संबंध में बार बार मौखिक हिदायत देते हुये कार्य में सुधार लाने के प्रयास किये गये तथापि सुधार ना लाने के कारण अक्रियाशील सीमॉक संस्थाओं की बैठक दिनांक 01.07.2019 में राज्य स्तर पर आपको बुलाया गया था, जहां स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि यदि आपकी विशेषज्ञता का लाभ राज्य स्तर पर प्रसूताओं को नहीं मिल पाता है तो यह मानते हुये कि आप घनी आबादी की अधिक प्रसूताओं को लाभान्वित करने में अक्षम है और आपकी सेवायें विभाग द्वारा प्रदेश के अति वंचित जिले में ली जायेंगी (छायाप्रति संलग्न)। जुलाई पश्चात अब तक आपके द्वारा एक भी एल.एस.सी.एस. नही किया गया, जो कि कोलार जैसी घनी आबादी क्षेत्र में अत्यंत ही असंतोषजनक होते हुये आपके गैर जिम्मेदाराना, उदासीन व्यवहार को दर्शाती है। इसके पश्चात दिनांक 27.08.2019 को वी.सी. की समीक्षा मे भी आपके कार्य में किसी प्रकार का सुधार परिलक्षित नहीं हुआ जिसके उपरांत मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया (छायाप्रति संलग्न)। आपके उदासीन व्यवहार से ना सिर्फ विभाग की छवि धूमिल हुयी साथ ही कोलार को सीमॉक बनाने का मूल उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। आपके सक्रिय प्रयास ना होने के कारण भोपाल जिले के अन्य बडे चिकित्सालयों पर दबाव बढा है एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की प्रक्रिया बाधित हुयी है।

निरंतर.....2

इस प्रकार आपके द्वारा राज्य स्तरीय दिशा–निर्देशों के प्रति उदासीनता दिखाने से प्रथम दृष्टया वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जाना प्रतीत होता है, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/2901 भोपाल, दिनांक 9/10/19

**प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. कलेक्टर ,जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, किसान भवन, बैंक आफ इंडिया के पास भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. अमिता दुबे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट समय सीमा में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश